

संख्या-397 /एक-10-2026

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बदायूँ, हरदोई, गोण्डा, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, सीतापुर, बिजनौर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर देहात, अमेठी, फतेहपुर, कन्नौज, चित्रकूट, कुशीनगर, आगरा, बांदा, आजमगढ़ एवं बरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक:11-04-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्रिकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीयवर्ष 2026-27 में अग्रिकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 6,32,00,000.00 (रुपये छः करोड़ बत्तीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपद के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र०	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	बदायूँ	14,00,000.00
2	हरदोई	45,00,000.00
3	गोण्डा	50,00,000.00
4	पीलीभीत	20,00,000.00
5	सिद्धार्थनगर	65,00,000.00
6	गाजीपुर	40,00,000.00
7	सीतापुर	30,00,000.00
8	बिजनौर	9,00,000.00
9	प्रतापगढ़	15,00,000.00
10	बाराबंकी	40,00,000.00
11	रायबरेली	25,00,000.00
12	कानपुर देहात	18,00,000.00
13	अमेठी	10,00,000.00

		15,00,000.00
14	फतेहपुर	08,00,000.00
15	कन्नौज	26,00,000.00
16	चित्रकूट	1,00,00,000.00
17	कुशीनगर	24,00,000.00
18	आगरा	40,00,000.00
19	बांदा	22,00,000.00
20	आजमगढ़	16,00,000.00
21	बरेली	6,32,00,000.00
		(रूपये छः करोड़ बत्तीस लाख मात्र)

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी0बी0टी0) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं, जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की

आवश्यकता का निर्धारण करना तद्विषयक धनराशि उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग/उपभोग/समर्पण/वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रसूत्र-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रु0 6,32,00,000.00 (रुपये छः करोड़ बत्तीस लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000607 अग्रिकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
Digitally signed by  
KULDEEP SINGH  
Date: 11-04-2026  
15:34:48  
(कुलदीप सिंह)  
उप सचिव।

संख्या- 397 (1)/एक-10-2026, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by  
SUSHEE KUMAR  
Date: 11-04-2026  
15:37:21

(सुशील कुमार)  
अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2026-2027  
आवंटन दिनांक-11/04/2026

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:-  
अनुदान संख्या:-  
लेखाशीर्षक:-

397  
001-397  
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)  
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)  
07 - अधिकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 2400000	2400000 2400000
2	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 1600000	1600000 1600000
3	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 900000	900000 900000
4	बदायूं-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1400000 1400000	1400000 1400000
5	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
6	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
7	बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 4000000	4000000 4000000
8	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 4000000	4000000 4000000
9	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 2200000	2200000 2200000
10	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
11	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
12	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4500000 4500000	4500000 4500000
13	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
14	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
15	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 4000000	4000000 4000000
16	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 1800000	1800000 1800000
17	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 6500000	6500000 6500000
18	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
19	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
20	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2600000 2600000	2600000 2600000
21	अमेठी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	63200000 63200000	63200000 63200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया छ: करोड़ बत्तीस लाख  
रूपया छ: करोड़ बत्तीस लाख

(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी